>

Title: Need to implement the enhanced rate of gratuity with effect from 1.07.2006 for workers in coal sector.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदय, मैं आपके माध्यम से मजदूरों से जुड़ा हुआ एक मामला उठाना चाहता हूं जो कोयलांचल में और नरेगा के माध्यम से उस क्षेत्र में बहुत से लोग काम कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान पेमेंट आफ ग्रेच्युटी एक्ट, 2010 के प्रभावी होने की तिथि से संशोधन करने और कोयला खान भविÂष्य निधि विभाग द्वारा वर्ष 2005 में मिशन विश्वास के तहत कोयला क्षेत्र में कामगारों को उनकी भविष्य निधि की राशि की जानकारी कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से उपलबध सुविधा के बंद करने के संबंध में आकृष्ट कराना चाहता हूं।

17 मई, 2010 को पेमेंट आफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 में संशोधन करते हुए कामगारों को प्राप्त ग्रेच्युटी को साढ़े तीन लाख रूपए से बढ़ाकर दस लाख रूपए कर दिया गया था। उक्त संशोधन को भारत सरकार के राजपत्र में 24 मई, 2010 को प्रकाशित किया गया तथा इसके एक्ट के प्रभावी होने की तिथि 24 मई, 2010 निर्धारित की गयी। परिणामतः प्रभावी तिथि से सार्वजनिक लोक उपक्रमों में कार्यरत हजारों श्रमिकों को उस लाभ से वंचित होना पड़ा, जो 30 अप्रैल, 2010 को अवकाश ग्रहण किए। यदि इस संशोधन को कोयला क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए आठवें वेतन समझौता एन. सी. डब्ल्यू. ए. की तिथि 1.7.2006 अथवा केंद्रीय समझौता, रेलवे के वेतन समझौता अथवा किसी वर्ष की पहली तारीख से शुरू किए जाने से लाखों मजदूरों को लाभ होगा। सीएमपीएफ के लाभुकों को इंटरनेट सेवा चालू हो, इससे एक सौ किलोमीटर मुख्यालय जाने में जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वह समाप्त हो जाएगा।

अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर अविलंब कार्रवाई हो। इससे भी बड़ी बात है कि 19.2.2011 को बोकारो जिला में नरेगा के तहत काम करने वाला मजदूर जब मजदूरी मांगने गाया, तो उसको वहां के लोगों ने मार-पीटकर इतना बुरा हाल कर दिया कि वह घर पहुंचने के बाद जब हास्पिटलाइज्ड हुआ, तो मर गया।

MR. CHAIRMAN: You are coming to something else.